राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : 01 AUG 2025

सं. एफ. 5(18)वित्त/कर/2022 पार्ट-112:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 5(18)वित्त/कर/2022 पार्ट-112 दिनांक 10.07.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : जुलाई 10, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 8छ में उल्लिखित संव्यवहारों के संबंध में निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

(सं. एफ. 5(18)वित्त/कर/2022 पार्ट-112)

राज्यपाल के आदेश से,

ह0

(नथमल डिडेल)

संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. मुख्य महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 4th फ्लोर, रील हाउस, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव